संख्या–232/80–1–2009–164/2008

(47)

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ADA

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1 लखनऊ:दिनांक 29 जनवरी, 2009

विषय:– राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 द्वारा किसान उपहार योजनान्तर्गत किसानों को मोबाइल दिये जाने की योजना विषयक।

29.1.09
(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
अपर सचिव, उ0प्र0

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–विप0–3/149/08–3372, दिनांक 03 अक्टूबर, 2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा किसान उपहार योजनान्तर्गत किसानों को मोबाइल फोन दिये जाने की योजना का शासन में परीक्षणोंपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त योजना को चलाये जाने पर शासन को कोई आपत्ति नहीं है।

288
29/1/09

3– उक्त योजना का कार्यस्वरूप निम्नवत् रहेगा:–

पात्रता :–

DDMm (A)

उक्त योजना का लाभ उन्ही कृषकों को अनुमन्य होगा, जो जनपद के एक मण्डी स्थल में एक माह की अवधि मे कम से कम रू0 5000.00के मूल्य की निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की बिक्री कर 6 आर प्रपत्र प्राप्त किया गया हो।

30.01.09
(शिखर चन्द शुक्ला)
अपर निदेशक (प्रशासन)

मण्डी समिति द्वारा प्रत्येक रू0 5000.00 के 6 आर प्रपत्र पर एक कूपन तथा उसके गुणांक के आधार पर एक इनामी कूपन जारी किया जायेगा। उक्त कूपन कृषक उपहार योजना के अतिरिक्त पृथक से देय होगा। उक्त कूपन मोबाइल फोन योजना का कूपन कहलायेगा।

205
30/1

S.O (M-3)

30/1/09 115 3/1/09
(अजनी कुमार श्रीवास्तव)
उप निदेशक (प्रशा0/विप0)

श्री जगदीश
02/1/09
S.O (M-3)

961
2/2

संचालन की प्रक्रियाः–

(1) कृषकों द्वारा नवीन मण्डी स्थल में बेचे गये कृषि उत्पाद से संबंधित 6 आर प्रपत्र की मूल प्रतियॉ संबंधित मण्डी समिति के कार्यालय में सचिव मण्डी समिति के पास जमा करके उपहार कूपन प्राप्त किये जायेगें।

(2) संभागीय उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) संभाग के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के कूपन एकत्र करवाकर, तिथि निर्धारित कर, प्रत्येक मास की समाप्ति पर प्रत्येक जनपद का पृथक–पृथक लाटरी द्वारा पारदर्शी ड्रा कराकर पुरस्कार वितरण सुनिश्चित करायेगें।

(3) संभाग स्तर पर निम्नलिखित अधिकारियों की समिति गठित की जाती हैः–

(अ)	संभागीय उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)	अध्यक्ष
(ब)	संभाग मुख्यालय मण्डी समिति के सचिव	सदस्य/सचिव
(स)	समस्त सम्बन्धित सचिव	सदस्य
(द)	संभागीय लेखाधिकारी	सदस्य

उक्त योजना का प्रगति विवरण मुख्यालय/शासन को प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जायेगा।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव